फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक...6689........./सम्बद्धता/2012

दिनांक 15/05/2012

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला महाविद्यालय
सल्लहपुर, भटनी, देवरिया

विषयः स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **राजनीतिशास्त्र एवं संस्कृत विषयों** में तथा **शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में** प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक 16.01.2012 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर **स्नातक स्तर पर कला संकाय** के अन्तर्गत **राजनीतिशास्त्र एवं संस्कृत विषयों** में प्रवक्ताओं के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है –

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1.	डॉ0 ऋचा राय	प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र
2.	डॉ0 नन्द किशोर तिवारी	प्रवक्ता, संस्कृत

नोटः– स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता पद हेतु चयन समिति द्वारा चयनित श्री कौशल किशोर तिवारी मात्र एम0एड0 उपाधिधारी हैं। ये न तो पी0एच0डी0 धारक है न ही नेट/स्लेट। अतः श्री कौशल किशोर तिवारी बी0एड0 अध्यापन हेतु अर्ह नहीं हैं।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, संविदा की की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09., मई, 2000 की प्रति।
2. शासनादेश संख्याः 759/सत्तर–2–2005–2(85)/97 दिनांकः 11, मार्च, 2005 की प्रति।

भवदीय,
14/5/12
कुलसचिव
10/5/12 10-5-12
11/5/12

D:Subject---/teacherapproval.doc